अधिसूचना सं0 11/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा0का0नि0.....(अ)- केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 108/95-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1995 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में उसी तारीख को सा0का0नि0 602(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"2. जहां उक्त माल की निकासी 1 मार्च, 2008 से पूर्व की गई है वहां विनिर्माता--

(क) उक्त माल को इस शर्त के अधीन रहते हुए किसी नई परियोजना में अंतरित कर सकेगा कि विनिर्माता विनिर्माण कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के समक्ष, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित अधिकारी से यह प्रमाणपत्र कि उक्त माल उक्त परियोजना के लिए अब अपेक्षित नहीं है और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या उक्त अधिसूचना के उपाबंध में सूचीबद्ध किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठन से यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि उक्त माल नई परियोजना के लिए अपेक्षित है ; या

(ख) उक्त माल के अवक्षयित मूल्य पर इस शर्त के अधीन रहते हुए उस उत्पाद-शुल्क का संदाय कर सकेगा जो तब संदेय होता यदि इसमें दी गई छूट न होती, कि आयातकर्ता विनिर्माण कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के समक्ष यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित

अधिकारी से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल विद्यमान परियोजना के लिए अपेक्षित नहीं है और यह कि उक्त माल का अवक्षयित मूल्य निकासी के समय मशीनरी के मूल मूल्य में से उक्त माल की निकासी की तारीख से किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे विनिर्दिष्ट सीधी रेखा पद्धति द्वारा संगणित प्रतिशत बिन्दुओं द्वारा अधिकतम 70 प्रतिशत के अधीन रहते हुए घटा कर आयी रकम के समान होगा, अर्थात् :-

(i) पहले वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत की दर से ;

(ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत की दर से ;

(iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से ;

(iv) चौथे वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षो में प्रत्येक तिमाही के लिए 2 प्रतिशत की दर से ।"

[फा.सं0 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण -- मूल अधिसूचना 108/95 -केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 602(अ), 28 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 13/2008- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2008 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 141(अ), तारीख 1 मार्च, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।